



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2025/88

दर्ज तिथि:- 30.03.2026

1. आईदानराम पुत्र लाखाराम
जाति रबारी निवासी गांधव कला तहसील गुडामालानी।

.....वादी

बनाम

1. लुम्बा पुत्र जोधा फौत के कायम मुकाम वारीशान
1/1 भाणाराम पुत्र लुम्बा
1/2 तगाराम पुत्र लुम्बा
1/3 महादेवाराम पुत्र लुम्बा
1/4 हड़मताराम पुत्र लुम्बा
जाति राईका निवासी गांधव कला तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादी

2. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
3. तहसीलदार, गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री गोरधनलाल विश्नोई,
श्री बाबुलाल विश्नोई

वादपत्र अन्तर्गत धारा-188
राज0 काश्त0 अधि0-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-30.03.2026

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-188, 209 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुडामालानी में अवस्थित हैं। वादी वक्त सेटलमेंट से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं वादी की खातेदारी आराजी की न्यायालय आदेश दिनांक 22.05.2022 को नेखमबंदी करवाई गई। जिसमें मौके पर नेखमबंदी पत्थर संख्या ए, बी, सी, डी लगाए गए। खेत के चारों तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ोस में



प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1.5702 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठों एवं नेखमबंदी पत्थर संख्या बी, सी को तोड़कर/हटाकर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण विधिवत तामिल के पश्चात् असालतन-वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण के जवाब का अवसर समाप्त किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई।

3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

दस्तावेज	दिनांक/सम्बन्ध/विवरण	प्रदर्श
एफआईआर प्रति	पुलिस थाना गुड़ामालानी में दिनांक 04.08.2022 को एफआईआर सं. 0173 की प्रति	प्रदर्शपी-01
जमाबंदी	जमाबंदी खसरा संख्या 118/1 संवत् 2071-2074 मौजा गांधव कला	प्रदर्शपी-02
नक्शा	खसरा संख्या 118/1 मौजा गांधव कला	प्रदर्शपी-03
जमाबंदी	खसरा संख्या 118 संवत् 2071-2074 मौजा गांधव कला	प्रदर्शपी-04
नक्शा	खसरा संख्या 118 मौजा गांधव कला	प्रदर्शपी-05
नेखमबंदी मौका फर्द	नेखमबंदी प्रकरण संख्या 2022/23 निर्णय दिनांक 26.12.2025 की पालना में नेखमबंदी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.06.2025	प्रदर्शपी-06 लगायत 09

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू.-1	आईदानराम पुत्र लाखाराम जाति रबारी	गांधव कला तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.-2	तगाराम पुत्र वीराराम जाति रबारी	गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.-3	कानाराम पुत्र लाखाराम जाति रबारी	गांधव खुर्द तहसील गुड़ामालानी

5. प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा वादी साक्ष्य साक्ष्य को उपस्थित न्यायालय किया गया। वादी साक्ष्य से प्रतिवादी अधिवक्ता को जिरह करने हेतु निवेदन किया गया। बावजूद निवेदन वादी साक्ष्य से जिरह नहीं किये जाने पर प्रतिवादी अधिवक्ता की जिरह बंद की गई। तत्पश्चात पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता गवाह के रूप में किसी के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रतिवादी अधिवक्ता के गवाह के अवसर समाप्त कर पत्रावली बहस में नियत की गई।
6. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
7. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।

3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से

2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते हैं। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर वादी का

स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। प्रकरण में नेखमबंदी मौका फर्द दिनांक 20.06.2025 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त आराजी की वादी द्वारा नेखमबंदी करवाई जा चुकी है। नेखमबंदी के दौरान ए, बी, सी, डी नेखम पत्थर स्थापित किये गये। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की दिनांक 20.06.2025 के सीमाज्ञान व नेखमबंदी के द्वारा निर्धारित सीमायुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल नहीं करने तथा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2025/88

दर्ज तिथि:- 30.03.2026

1. आईदानराम पुत्र लाखाराम
जाति रबारी निवासी गांधव कला तहसील गुडामालानी।

.....वादी

बनाम

1. लुम्बा पुत्र जोधा फौत के कायम मुकाम वारीशान
1/1 भाणाराम पुत्र लुम्बा
1/2 तगाराम पुत्र लुम्बा
1/3 महादेवाराम पुत्र लुम्बा
1/4 हड़मताराम पुत्र लुम्बा
जाति राईका निवासी गांधव कला तहसील गुडामालानी

.....असल प्रतिवादी

2. शाखा प्रबंधक, एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
3. तहसीलदार, गुडामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री गोरधनलाल विश्नोई,
श्री बाबुलाल विश्नोई

वादपत्र अन्तर्गत धारा-188
राज0 काश्त0 अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की दिनांक 20.06.2025 के सीमाज्ञान व नेखमबंदी के द्वारा निर्धारित सीमायुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 118/1/0.6475 है0 मौजा गांधव कला पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुडामालानी पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की खातेदारी

आराजी पर कार्य काशत में अर्थात फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल नहीं करने तथा किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

